



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.4(100)जैवविविध/विधि/पंरा/2012/2137

दिनांक: 09-9-2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त (राजस्थान)।

विषय :- जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के गठन बाबत ।
प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 1475 दिनांक 22.8.2019।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपको जैव विविधता नियम, 2010 के नियम 23(2) के प्रावधान के तहत ज़िला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन करने के लिए निर्देशित किया गया था।

इस सम्बन्ध में लेख है कि विभागीय पत्रांक 1765 दिनांक 29.8.2019 के द्वारा ज़िला परिषद साधारण सभा की विशेष बैठक दिनांक 13.9.2019 तक आयोजित कर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 की क्रियाविति हेतु उपविधियां (Bye-laws) पारित किये जाने हेतु निर्देशित किया हुआ है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त बैठक के दौरान ही जैव विविधता प्रबन्ध समिति का गठन करने के लिए भी उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पारित करवाया जाना सुनिश्चित करावें तथा ज़िले की समस्त पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों की साधारण सभा की बैठकों में भी उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पारित करवा कर, अविलम्ब पालना रिपोर्ट विभाग को प्रेषित करावें।

(आशुतोष ए. टी. पेडणेकर)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, वायु ब्लॉक नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, प्लॉट न0 7, द्वारकापुरी, जमनालाल बजाज मार्ग, जयपुर।
5. ए0सी0पी0 मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव (विधि)